रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072026-274675
CG-DL-E-21072026-274675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948
No. 584] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

**सा.का.नि. 643(अ) .—** केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (च), धारा 27 की उप-धारा (ढ), धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (छ) और (ड), धारा 137 की उप-धारा (घ), धारा 157 की उप-धारा (2), धारा 164ग की उप-धारा (2) के खंड (क) के उप-खंड (ii), धारा 210ग की उप-धारा (खक) और (ग), धारा 211क की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) तथा धारा 215ग की उप-धारा (2) के खंड (क) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

**प्रारूप नियम**

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 2 के उप-नियम (गक) में, शब्दों "और उल्लंघनकर्ता, दंड की राशि" के स्थान पर शब्द ", उल्लंघनकर्ता, यदि कोई चेतावनी जारी की गई है, तो दंड या जुर्माना की राशि" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

3. उक्त नियमों में, नियम 22 के उप-नियम (ण) और (न) का विलोपन किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 61 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"61क. पंजीकरण निरस्त (रद्द) करने की सूचना-

(1) यदि कोई मोटर वाहन नष्ट हो गया है या स्थायी रूप से उपयोग करने के योग्य नहीं रह गया है, तो स्वामी, तीस दिनों के भीतर या जितनी जल्दी हो सके, पंजीकरण प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र 37क में तथ्य के बारे में रिपोर्ट करेगा।

(2) यदि किसी मोटर वाहन को स्थायी रूप से भारत से बाहर हटा दिया गया है, तो स्वामी पंजीकरण प्राधिकारी को प्रपत्र 37क में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, पंजीकरण प्राधिकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

(4) जहां धारा 55 के तहत मोटर वाहन का पंजीकरण निरस्त किया जाता है, वहां पंजीकरण प्राधिकारी प्रपत्र 37ख में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मोटर वाहन के स्वामी और बीमाकर्ता को ऐसे निरस्तीकरण की सूचना देगा।"

5. उक्त नियमों में नियम 116 के उप-नियम (2) में, "दंड के लिए उत्तरदायी" शब्दों के पश्चात् "या जुर्माना" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 144 में "चौदह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

7. उक्त नियमों के नियम 167 में, -

(क) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"(4क) जहां, अधिनियम के किसी उपबंध के अध्यधीन, अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में चेतावनी जारी करने की आवश्यकता है, वहां इस नियम के अधीन चालान जारी किए गए तरीके से ही ऐसी चेतावनी, प्रेषित और पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

(4ख) इस प्रकार दर्ज की गई प्रत्येक चेतावनी के विवरण को अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उसी प्रावधान के किसी भी अन्य या बाद के उल्लंघन को निर्धारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा और इस प्रकार दर्ज की गई चेतावनी ऐसे प्रयोजन के लिए एक पूर्व उल्लंघन होगी।"

(ख) उप-नियम (5) में, "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "न्यायालय द्वारा अभियोग के लिए अशमनीय(नॉन-कंपाउंडेबल) अपराध के मामले को छोड़कर, कोई व्यक्ति" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (7) में,—

(i) "उप-नियम (6) के अधीन निर्दिष्ट अवधि" शब्दों के पश्चात्, विराम चिह्न "." के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्,—

बशर्ते कि उप-नियम (4क) के तहत जारी की गई चेतावनी उप-नियम (6) के तहत स्वतः स्वीकृत होने पर अंतिमता प्राप्त कर लेगी।

(ग) उप-नियम (9) में,—

i. "न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है" शब्दों के पश्चात्, "या नियम 167ख के तहत नियुक्त निर्णायक प्राधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात्, विराम चिह्न "." के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

बशर्ते कि उप-नियम (4क) के तहत जारी की गई चेतावनी उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दलील को अस्वीकार किए जाने पर अंतिमता प्राप्त कर लेगी जिसके विरुद्ध चेतावनी जारी की गई है।

(घ) उप-नियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(12) यदि उप-नियम (7) और (10) के तहत चालान जारी किए गए व्यक्ति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या यदि चालान का निर्णय न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा किया गया है जिसमें व्यक्ति को राशि का भुगतान करना आवश्यक है और ऐसे निर्णय के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे चालानों के निपटान तक, चालान में उल्लिखित उल्लंघनकर्ता के लाइसेंस या मोटर यान के पंजीकरण, जैसा भी मामला हो, से संबंधित आवेदनों पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण या पंजीकरण प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिवाय मोटर यान के किसी भी कर संबंधी मुद्दों से संबंधित आवेदनों के, और ऐसे वाहन को पोर्टल पर 'लेनदेन न करने योग्य' के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जो पोर्टल पर ऐसे चालान के भुगतान तक पंजीकृत मालिक या लाइसेंस धारक, जैसा भी मामला हो, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित स्वचालित रूप से सूचना भेजेगा:

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत कोई प्रतिबंध तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि चालान न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए लंबित रहता है।

***स्पष्टीकरण*—** इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "प्राधिकारी" से तात्पर्य न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी से होगा, जैसा भी मामला हो, जैसा कि इन नियमों के नियम 167ख के तहत प्रावधान किया गया है।

**8.** उक्त नियमों में, नियम 167क में, उप-नियम (10) में, "यदि वाहन का स्वामी" शब्दों के लिए, "अशमनीय अपराध के मामले में, यदि वाहन का स्वामी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**9**. उक्त नियमों में, नियम 167क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"167ख. जुर्माने का न्यायनिर्णयन—

(1) राज्य सरकार—

(क) प्रत्येक जिले या उसके भाग के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के तहत दंड के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना; और

(ख) जुर्माने के न्यायनिर्णयन के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन स्थापित करना

इस नियम के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर।

(2) उप-नियम (1) के तहत नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी शामिल है, ऐसी सुनवाई की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एक आदेश सुनाएगा।

(3) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रदान की गई कोई भी दंड राशि ऐसे अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा कंपाउंड की जा सकती है, जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(4) जो कोई उप-नियम (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट है, वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे प्रपत्र और तरीके में जो निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या समकक्ष, जैसा कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट कर सकती है, के पद से नीचे नहीं होगा।

(5) उप-नियम (4) के तहत विनिर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील पर विचार किया जा सकता है, यदि यह पुख्ता है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से ऐसी अवधि के भीतर अपील करने से रोका गया था।

(6) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित, सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(7) उप-नियम (4) में उल्लिखित अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

(8) यदि कोई प्राधिकारी उप-नियम (2) या उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेश सुनाने में या अपील का निपटारा करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, तो वह दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन दस हजार रुपये तक हो सकता है।

**स्पष्टीकरण—** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक साधन" में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शामिल होगी।"

**10.** उक्त नियमों में, प्रपत्र 37 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

"प्रपत्र 37क

[नियम 61क देखें]

पंजीकरण रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को सूचना देने हेतु आवेदन

1. वाहन का पंजीकरण नंबर: ____________________

2. चेसिस नंबर: ____________________

3. इंजन नंबर/मोटर नंबर (बैटरी से चलने वाले वाहन के मामले में): ___

4. पंजीकृत स्वामी का नाम: ____________________

5. पंजीकृत स्वामी का पता: ____________________

6. मोबाइल नंबर: ____________________

7. ईमेल आईडी: ____________________

8. धारा 55(1) के तहत सूचना देने का कारण:

   □ मोटर वाहन नष्ट हो गया है

   □ मोटर वाहन स्थायी रूप से उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है

   □ मोटर वाहन को भारत से स्थायी रूप से हटा दिया गया है

9. उपरोक्त घटना घटित होने की तिथि: _______

10. क्या सहायक दस्तावेज संलग्न हैं (परिशिष्ट के अनुसार):

   □ हाँ

   □ नहीं

11. क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अभ्यर्पण(सरेंडर) किया गया है?

   □ हाँ

   □ नहीं

यदि नहीं, तो कारण बताएं: ____________________

नोट: पंजीकरण संख्या को क्रमांक 1 में दर्ज करने पर क्रमांक 2 से 7 पोर्टल को स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएंगे।

**घोषणा**

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उपरोक्त संदर्भित वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

स्थान: __________

दिनांक: __________

पंजीकृत स्वामी के हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर

नाम: ____________________

***अनुलग्नक***

आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले या अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

इस प्रपत्र के साथ, आवश्यकतानुसार, निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए:—

1. यदि मोटर वाहन नष्ट हो गया हो या स्थायी रूप से उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया हो या किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा स्क्रैप कर दिया गया हो:

□ पुलिस शिकायत या एफआईआर की प्रति

□ लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी सर्वेक्षक की रिपोर्ट;

□ वाहन की तस्वीरें;

□ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र;

□ अन्य सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो।

2. यदि मोटर वाहन को स्थायी रूप से भारत से बाहर ले जाया गया हो:

□ अनापत्ति प्रमाण पत्र (अनिवार्य);

□ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वाहन जांच रिपोर्ट (अनिवार्य);

□ अन्य सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो।

**प्रपत्र 37ख**

[नियम 61क देखें]

**वाहन पंजीकरण रद्द करने की सूचना देने का प्रपत्र**

सेवा में,

वाहन के स्वामी की पंजीकरण संख्या ___________________________

स्वामी का नाम: ___________________________

चेसिस नंबर: _______________

इंजन/मोटर संख्या (बैटरी चालित वाहन के मामले में): ___________

जबकि अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार मोटर वाहन, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है;

और चूंकि, उचित समझी गई जांच के बाद, उक्त मोटर वाहन का पंजीकरण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के तहत निम्नलिखित आधारों पर रद्द कर दिया गया है:—

□वाहन नष्ट हो गया है;

□यह वाहन स्थायी रूप से उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है;

□जांच करने पर पाया गया कि मोटर वाहन उपयोग करने योग्य नहीं है या सार्वजनिक स्थान पर इसका उपयोग जनता के लिए जोखिम पैदा करेगा और इसकी मरम्मत उचित रूप से संभव नहीं है;

□इस वाहन को भारत से स्थायी रूप से बाहर ले जाया गया है;

□मोटर वाहन का पंजीकरण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है या इंजन नंबर या चेसिस नंबर जो अंकित हैं वे पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज नंबर से भिन्न हैं;

□अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित मोटर वाहन का उपयोग धारा 199क के तहत दंडनीय अपराध करने में किया गया है;

□किसी मोटर वाहन का पंजीकरण कम से कम छह माह की अवधि तक बिना किसी रुकावट के निलंबित रहा हो;

तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इसे रद्द करने की जानकारी पंजीकरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर ली गई है और पोर्टल पर अद्यतन कर दी गई है।

तिथि: _______________

स्थान: ______________

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर: ___________________

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम: ________________"

[फा. सं. आरटी-11036/95/2022-एमवीएल-पार्ट I]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांकित ........... द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

**G.S.R. 643(E).**— The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 19, sub-section (n) of section 27, clauses (g) and (m) of sub-section (1) of section 110, sub-section (d) of section 137, sub-section (2) of section 157, sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of section 164C, sub-sections (ba) and (c) of section 210C, clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of section 211A, and clauses (a) and (d) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

**Draft Rules**

**1**. Short title and commencement— (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

**2**. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as said rules), in rule 2, in sub-rule (ca), for the words "and the offender, the amount of penalty", the words ", the offender, warning issued if any, the amount of penalty or fine" shall be substituted;

**3.** In the said rules, in rule 22, sub-rules (o) and (t) shall be omitted.

**4**. In the said rules, after rule 61, the following rule shall be inserted, namely,—

"61A. Intimation for cancellation of registration—
(1) If a motor vehicle has been destroyed or has been rendered permanently incapable of use, the owner shall, within thirty days or as soon as may be, electronically report the fact to the registering authority in Form 37A.
(2) If a motor vehicle has been permanently removed out of India, the owner may electronically apply to the registering authority in Form 37A.
(3) On receipt of the intimation under sub-rule (1) or sub-rule (2), the registering authority may take such action as may be necessary under section 55 of the Act.
(4) Where the registration of a motor vehicle is cancelled under section 55, the registering authority shall intimate the owner and insurer of the motor vehicle of such cancellation in Form 37B, through electronic means."

**5.** In the said rules, in sub-rule (2) of rule 116, after the words "liable for penalty" the words "or fine" shall be inserted.

**6**. In the said rules, in rule 144, for the words "fourteen days", the words "thirty days" shall be substituted;

**7**. In the said rules, in rule 167,—

(a) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely,—

"(4A) Where, under any provision of the Act, a warning is required to be issued in respect of a violation of the provisions of the Act or rules made thereunder, such warning shall be issued, delivered and recorded on the portal in the same manner as a challan under this rule.

(4B) The details of every warning so recorded shall be taken into account for the purpose of determining any second or subsequent violation of the same provision under the Act or rules made thereunder, and a warning so recorded shall constitute a previous violation for such purpose.";

(b) in sub-rule (5), for the words "Any person", the words and punctuation mark "Except in case of non-compoundable offence instituted for prosecution by a court, any person" shall be substituted;

(b) in sub-rule (7),—

(i) after the words “period specified under sub-rule (6)”, for the punctuation mark “.”, the punctuation mark “:” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided that a warning issued under sub-rule (4A) shall attain finality upon deemed acceptance under sub-rule (6).”.

(c) in sub-rule (9),—

i. after the words “may file an application before a court”, the words “or adjudicating authority appointed under rule 167B” shall be inserted;

(ii) after the words “State Government”, for the punctuation mark “.”, the punctuation mark “:” shall be substituted;

(iii) the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided that a warning issued under sub-rule (4A) shall attain finality upon rejection of submission made by the person against whom the warning has been issued.”.

(d) for sub-rule (12), the following sub-rule shall be inserted, namely—

“(12) If no action is taken by the person to whom the challan is issued under sub-rule (7) and (10), or if the challan has been adjudicated by the court or authority wherein the person is required to pay the amount and no action is taken after such adjudication, in such cases, till the disposal of such challans, applications with respect to the license of offender or registration of motor vehicle, as the case may be, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing authority or registering authority, as the case may be, except applications relating to any tax issues of motor vehicle, and such vehicle shall be flagged as ‘Not to be Transacted’ on the portal, which shall also automatically send an intimation to the registered owner or the licence holder, as the case may be, including through electronic means, till the payment of such challan, on the portal:

Provided that no restriction under this sub-rule shall be imposed, so long as the challan remains pending adjudication before the Court or the authority.

***Explanation*.—** For the purpose of this sub-rule, “authority” shall mean the adjudicating authority or the appellate authority, as the case may be, as provided under rule 167B of these rules.”

**8.** In the said rules, in rule 167A, in sub-rule (10), for the words “In case the owner of the vehicle”, the words “Except in case of a non-compoundable offence, in case the owner of the vehicle” shall be substituted.

**9**. In the said rules, after rule 167A, the following rule shall be inserted, namely,—

“167B. Adjudication of penalties.—

(1) The State Government shall—

(a) appoint such officers for each district or the part thereof, by notification in the Official Gazette, as adjudicating authority for adjudication of penalties under the Act; and

(b) establish electronic means for presence of persons for adjudication of penalties,

within a period of six months from the date of publication of this rule.

(2) The adjudicating authority appointed under sub-rule (1) shall, after providing an opportunity of hearing, including through electronic means, pronounce an order within a period of thirty days from the date of such hearing.

(3) Any penalty amount provided for contravention of the provisions of the Act may be compounded by such officers or authorities as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(4) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating authority under sub-rule (1), may prefer an appeal to such appellate authority who shall be not below the rank to an Additional District Magistrate or equivalent, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf, within a period of thirty days from the date of receipt of an order of the adjudicating authority, in such form and manner as may be prescribed.

(5) An appeal may be entertained after the expiry of the period of thirty days specified under sub-rule (4), if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from making an appeal within such period.

(6) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, including through electronic means, pass such order as he may think fit.

(7) The appellate authority referred to in sub-rule (4) shall dispose of the appeal within thirty days from the date of filing the appeal.

(8) If an authority fails to pronounce an order under sub-rule (2) or dispose of the appeal under sub-rule (7), as the case may be, within the time specified therein, it shall be punishable with penalty which shall not be less than five thousand rupees, but may extend to ten thousand rupees.

Explanation.— For the purposes of this rule, "electronic means" shall include use of any communication device for video conferencing and recording of evidence.”

**10**. In the said rules, after Form 37, the following Forms shall be inserted, namely,—

“**FORM 37A**

[*See rule 61A*]

**APPLICATION FOR INTIMATION TO THE REGISTERING AUTHORITY OF OCCURRENCE OF EVENT REQUIRING CANCELLATION OF REGISTRATION**

1. Registration Number of Vehicle: ___________________
2. Chassis Number: ___________________
3. Engine Number/ Motor Number (in case of Battery-operated vehicle): ___________________
4. Name of Registered Owner: ___________________
5. Address of Registered Owner: ___________________
6. Mobile Number: ___________________
7. E-mail ID: ___________________
8. Reason for intimation under section 55(1):

    □ Motor vehicle has been destroyed
    □ Motor vehicle has been rendered permanently incapable of use
    □ Motor vehicle has been permanently removed out of India
9. Date of occurrence of the above event: _______
10. Whether supporting documents enclosed (as per *Annexure*):

□ Yes
□ No

11. Whether certificate of registration is enclosed/ surrendered:

□ Yes
□ No

If no, provide reasons: ___________________

Note: Serial numbers 2 to 7 shall be automatically fetched from the portal upon entry of Registration Number in serial number 1.

**DECLARATION**

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and that the vehicle referred to above is liable for cancellation of registration under section 55 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Place: __________
Date: __________

Signature or e-Signature of Registered Owner
Name: ___________________

***ANNEXURE***

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED OR UPLOADED BY APPLICANT

The following documents shall be submitted, as applicable, along with this Form:—

1. In case the motor vehicle has been destroyed or rendered permanently incapable of use or scrapped by a Registered Vehicle Scrapping Facility:
   - □ Copy of police complaint or FIR
   - □ Surveyor's Report issued by a licensed surveyor and loss assessor;
   - □ Photographs of the motor vehicle;
   - □ Certificate of Deposit issued by a Registered Vehicle Scrapping Facility;
   - □ Any other supporting document, if any.
2. In case the motor vehicle has been permanently removed out of India:
   - □ No Objection Certificate (mandatory);
   - □ Vehicle Enquiry Report issued by National Crime Records Bureau (mandatory);
   - □ Any other supporting document, if any.

**FORM 37B**

[*See Rule 61A*]

**FORM FOR INTIMATION OF CANCELLATION OF REGISTRATION OF VEHICLE**

To,

The owner of vehicle bearing Registration Number: ___________________________

Name of Owner: ___________________________
Chassis Number: _______________
Engine/Motor Number (in case of Battery-operated vehicle): ___________

Whereas the undersigned is satisfied that the motor vehicle particulars of which are given above is liable for cancellation of registration under section 55 of the Motor Vehicles Act, 1988;

And whereas, after such inquiry as deemed fit, the registration of the said motor vehicle has been cancelled under section 55 of the Motor Vehicles Act, 1988 on the following ground(s):—

☐ the motor vehicle has been destroyed;

☐ the motor vehicle has been rendered permanently incapable of use;

☐ Upon examination, motor vehicle found to be incapable of being used or its use in a public place would constitute a danger to the public and that it is beyond reasonable repair;

☐ the motor vehicle has been permanently removed out of India;

☐ the registration of motor vehicle has been obtained on the basis of false documents or the engine number or chassis number embossed are different from number entered in the certificate of registration;

☐ the motor vehicle within the jurisdiction has been used in the commission of offence punishable under section 199A;

☐ the registration of a motor vehicle has continued to remain suspended without interruption for a period not less than six months;

Accordingly, it is hereby intimated that the registration of the above-mentioned motor vehicle stands cancelled. The particulars of such cancellation have been recorded in the records of the registering authority and updated on the Portal.

Date: _______________

Place: _______________

Signature or e-Signature of Registering Authority: ___________________

Name of Registering Authority: ________________”

[F. No. RT-11036/95/2022-MVL-Pt.I]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* G.S.R. …..(E) dated the……………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA